बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्याः– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2017–18 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 12.00 (बारह) लाख रूपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2017–18 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 12.00 (बारह) लाख रूपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का सम्परिवर्तन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में किया जा चुका है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 दिनांक 07.10.2016 से प्रभावी हो चुका है।

3. सर्वाधिक उपज देने वाले प्रभेदों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की परिस्थितियों में अनुकूलता की जांच तथा सत्यापन की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये दूसरे राज्यों में विकसित प्रभेदों को राज्य की परिस्थितियों में परीक्षण की संस्थागत व्यवस्था के लिए योजना स्वीकृत की जाती है। यह अनुदान आवर्तक है। उक्त योजना अन्तर्गत सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के प्रभेद परीक्षण में शामिल किये जायेंगे।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है, (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277–शिक्षा, माँग संख्या–01 उप शीर्ष 0101– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01–2415012770101, विषय शीर्ष 0101. 31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	166.00	133,50	32.50	12.00

5. निकासी के लिए स्वीकृत राशि 12.00 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत संबंधित महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया ज. सकता है।

8. पूर्व में फसल प्रभेद परीक्षण योजना हेतु स्वीकृत / विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि० दिनांक 31.05.17 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148 / 2013 के पृ0सं0–68 / टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148 / 2013 के पृ0सं0– 72 / टि. पर दिनांक– 08.12.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.12.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.12.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148 / 2013– 4961 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपिः– कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा / नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा / निदेशक अनुसंधान, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।